जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

..11.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-151 जा.दी. पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त बहस कथन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या-179/2018 अवार्ड दिनांक 09-11-2020 के विरुद्ध एक अन्य प्रार्थना-पत्र भी इस न्यायालय मे विचाराधीन है। अन्त में कथन किया कि उक्त दोनों प्रकरणों (प्र.सं. 64/2020 एवं 61/2020) की विषयवस्तु एवं पक्षकारों का हित समान है इसलिए दोनों प्रकरणों को कन्सोलेटेड किया जावे। वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रकरणों को कन्सोलेटेड किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। मैंने वकील उभयपक्ष को सुना। प्र.सं.64/2020 एवं 61/2020 का अवलोकन किया, उक्त दोनों प्रकरण सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के प्र.सं. 179/2018 अवार्ड दिनांक 09-11-2020 के विरुद्ध विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्र.सं. 61/2020 के साथ पश्चातवर्ती प्र.सं. 64/2020 को कन्सोलेटेड किये जाने के आदेश दिये जाते है। यह प्रकरण प्र.सं. 61/2020 के साथ संलग्न रहे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा